न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 11/2019

उनवान

1. रमेश सिंह पुत्र छोगा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. देवी पुत्र लादू जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री परमेश्वर रावत
2 जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्ती हेतु

–: आदेश :– दिनांक :– 17.12.20

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के वंर्किग खसरा नम्बर 560 रकबा 2–15–0 में से 0–18–0 भूमि प्रार्थी ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 से क्रय की थी। नामान्तकरण संख्या 208 दिनांक 09.10.2000 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में क्रयशुदा आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज की गयी। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 915/0.04, 927/0.10 व 916/0.31 को बंदोबस्त विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से पुनः अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिये जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था। अतः हाल खसरा नम्बर 915 रकबा 0.04 व 927 रकबा 0.10 प्रार्थी के नाम करने के आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जारियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 560 के हाल खसरा नम्बर 915, 916 व 927 बने है किन्तु प्रार्थी खसरा नम्बर 915 व 927 में ही अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहता है। जबकि खसरा नम्बर 915 में अप्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। कुछ हिस्सा अन्य व्यक्ति को बैचान कर दिया है। जिसका इन्द्राज हाल जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थी को खसरा नम्बर 915 में से हिस्सा दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 का ख0न0 916 में आवागमन बन्द हो जायेगा। प्रार्थी उक्त अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 560 रकबा 0–18–0 बैचान से प्रार्थी के नाम दर्ज हुआ। हाल खसरा नम्बर 915 व 916 अप्रार्थी संख्या 1 व मंगली देवी पत्नी गोपी सिंह के नाम दर्ज है। मंगली को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:37:44 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 560 रकबा 2–15 में से 0–18–0 की आराजी प्रार्थी द्वारा जरियें पंजीकृत

य पत्र अप्रार्थी संख्या 1 से क्रय किया था। नामान्तकरण संख्या 208 दिनांक 9.10.2000 द्वारा उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज कर वंर्किंग जमाबंदी में अमल दरामद किया गया। वंर्किंग खसरा नम्बर 560 के हाल खसरा नम्बर 927 रकबा 0.10, 915 रकबा 0.04 व 916 रकबा 0.31 बने है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त खसरा नम्बर में से हाल खसरा नम्बर 927 रकबा 0.10 व 915 रकबा 0.4 का अनुतोष चाहा है। खसरा नम्बर 927 रकबा 0.10 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जबकि खसरा नम्बर 915 रकबा 0.04 व 916 रकबा 0.31 में अप्रार्थी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा व मंगली पत्नी गोपी सिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थी को खसरा नम्बर 915 में से हिस्सा दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 का ख0न0 916 में आवागमन बन्द हो जायेगा। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 0–18–0 भूमि का क्रय करना निर्विवाद है। उक्त वंर्किंग खसरा नम्बर 560 के तीन हाल खसरा नम्बर 915, 927 व 916 आस–पास ही स्थित है। प्रार्थी ने जितनी भूमि क्रय की थी उतनी भूमि पर ही वह काबिज है तथ उतनी भूमि का अनुतोष ही उसके द्वारा चाहा गया हैं दोनो पक्ष के मध्य मुख्य विवाद खसरा नम्बर 915 के रकबे को लेकर है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने खसरा नम्बर 915 में से 0.04 के स्थान पर 0.01 रकबे के लिये व शेष 0.03 रकबा 916 में से लेने की सहमती जाहिर की है जिसका खण्डन विद्धान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नही किया गया है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज से प्रकरण इन्द्राज दुरुस्ती का सिद्ध होता है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम भवानीखेडा के खसरा नम्बर 927 रकबा 0.10, 915 मिन रकबा 0.01 व 916 मिन रकबा 0.03 कुल 0.14 रकबे पर प्रार्थी का नाम इन्द्राज किया जावे। खसरा नम्बर 915 व 916 का रकबा खसरा नम्बर 927 के लगते हुये प्रार्थी को प्रदान किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:37:44 IST
Reason: SelfAttested